भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1410
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

डिब्बाबंद खाद्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां

1410. श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख डिब्बाबंद खाद्य कंपनियों के कारोबार को आसान बनाने के लिए माल और सेवा कर, आयात और अन्य व्यापार संबंधी मामलों से संबंधित चिंताओं को दूर करने हेतु उनके साथ बातचीत करने के प्रयास किए है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस चर्चा में भाग लेने वाली कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और निर्यात में वृद्धि, किसानों की आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) डिब्बाबंद खाद्य क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए इस क्षेत्र में बड़े, मध्यम और लघु उद्यमों सहित खाद्य और संबद्ध क्षेत्रों के हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है । इन विचार-विमर्शों का उद्देश्य इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। उद्योग प्रतिनिधियों और संघों के साथ 6 और 7 नवंबर, 2024 को हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की गईं । उक्त हितधारक परामर्श में प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध** में संलग्न है ।

(ग). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) विभिन्न पहलों और योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है । उपर्युक्त योजनाओं के विभिन्न घटकों के तहत, एमओएफपीआई खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निर्मित बुनियादी ढांचे और प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना है।

*****

अनुबंध

13 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए "डिब्बाबंद खाद्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1410 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

हितधारक परामर्श बैठकों में भाग लेने वाले उद्योग संघों की सूची:

1. भारतीय उद्योग परिसंघ
2. एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
3. अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करणकर्ता संघ
4. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
5. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
6. इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया
7. भारतीय डेयरी एसोसिएशन
8. प्लांट बेस्ड फूड्स इंडस्ट्री एसोसिएशन

*****